न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड
पीठासीन अधिकारी : दाताराम आरए.एस

अपील सं. 35/ 2020 (75 एलआरए)
राजस्थान राज्य विधुत प्रसारण लि0 खानपुर जर्ये सहायक अभियन्ता
बनाम राजस्थान सरकार
(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2020/00012)

राजस्थान राज्य विधुत प्रसारण लि0 खानपुर जर्ये सहायक अभियन्ता
तहसील खानपुर जिला झालावाड़

..... अपीलांट्स

बनाम
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील खानपुर जिला झालावाड़ राजस्थान
..... रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध आदेश तहसीलदार खानपुर
दिनांक 18.03.19 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 149 /2019

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री परवेज अहमद

निर्णय

दिनांक 09.04.2021

2 यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार खानपुर के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 149/ 2019 में पारित आदेश दिनांक 18.03.2021 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।

3 अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खानपुर के समक्ष 91 राजस्थान भू-राजस्थान अधिनियम 1956 के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 149/ 2019 पटवारी व भू-अभिलेख निरीक्षक खानपुर ने पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट 132 के0वी0 ग्रिड सब स्टेशन राजस्थान विधुत प्रसारण निगम लि0 द्वारा ग्राम खानपुर की आराजी खसरा नं. 2328 रकबा 2.08 बीघा किस्म गे0मु0तलाई नाजायज कब्जा कर लिया है इसलिये इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही फरमावें। उपरोक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर अप्रार्थी को धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के नियम 3 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया जिसकी तामील होकर प्रार्थी उपस्थित हुआ तथा अपना पक्ष प्रस्तुत कर अवगत कराया कि ग्राम खानपुर की आराजी ख0न0 2328 की 2.08 बीघा भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा नही है बल्कि यह आराजी 132 के0वी0 जी0एस0एस0एस0

रा0रा0विद्युत प्रसारण निगम लि0 खानपुर वैध रूप से आवंटित हुई है। उक्त आराजी बक्ता रा0रा0विद्युत प्रसारण निगम लि0 खानपुर द्वारा मान0 राजस्व मण्डल अजमेर मे अपील प्रस्तुत की हुई है लेकिन तहसीलदार खानपुर ने दिनांक 18.03.2019 को एक ही दिन में सारी कार्यवही कर अपीलांट के जबाब पर कोई विचार किये बिना छपे हुए निर्णय में खाली स्थान को भरकर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए, एल.आर एक्ट 1956 की धारा 91 के अंतर्गत ग्राम खानपुर की आराजी खसरा नं. 2328 रकबा 2.08 बीघा किस्म गै0मुमकिनलाई से बेदखल कर लगान 2.40 का 50 गुना 120 रु. पेनल्टी से दण्डित किये जाने के आदेश पारित कर दिया गया है जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

4 उक्त अपील दर्ज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर बहस सुनी गई।

5 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री परवेज अहमद ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स के जबाब पर कोई विचार नहीं किया छपे हुए निर्णय में न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना खाली स्थान भर कर निर्णय कर दिया जो विधि अनुसार नहीं हैं। ग्राम खानपुर की आराजी ख0न0 2328 की 2.08 बीघा भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा नही है बल्कि यह आराजी 132 के0वी0 जी0एस0एस0एस0 रा0रा0विद्युत प्रसारण निगम लि0 खानपुर वैध रूप से आवंटित हुई है। जिसके आधार पर विधिवत काबिज है। अपीलान्ट द्वारा मान0 राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन अपील के सबंध में निर्णय प्रति दिनांक 10.12.20 प्रस्तुत की गई है जिसमे रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ख0न0 2328 की 4.13 बीघा वक ग्राम खानपुर की किस्म के सबंध मे वर्ष 1947 के रिकार्ड से संबधित आवश्यक जांच व राजस्थान सरकार के आदेश के तहत भू रूपान्तरण के आदेश के विरूद्ध किस प्रकार रेफरेन्स पेश की अधिकारिता प्राप्त है पुनः इस संबंध मे सुनवई व विचार कर बद जांच आवश्यक समझा जावे तो मण्डल के समक्ष पुनः रेफरेन्स पेश किये जाने का निर्णय पारित किया गया है।

6 वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपंत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

7 इस अपील में अपीलांट्स ने मुख्य रूप आधार यह लिया है कि अपीलांट के जबाब को कंसीडर किये बिना ही निर्णय पारित कर दिया है व निर्णय छपे छपये प्रारूप में कर दिया है। अपीलान्ट का ख0न0 2328 की 2.08 बीघा भूमि पर कब्जा नही हे उक्त भूमि 132 के0वी0 जी0एस0एस0एस0 रा0रा0विद्युत प्रसारण निगम लि0 खानपुर वैध रूप से आवंटित हुई है। जिसके आधार पर विधिवत काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का एव मान0 राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय एव अवलोकन किया गया। मण्डल के निर्णय दिनांक 10.12.20 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त आराजी के सबंध मे राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे रेफेन्स किये जाने पर मण्डल के आदेश दिनांक 22.01.2016 से रेफरेन्स स्वीकार कर ख0न0 2328 की 2.08 बीघा रा0रा0विद्युत निगम के नाम से राजस्व रेकार्ड से कम कर भूमि पूर्व अनुसार गै0मुमकिनलाई दर्ज किये जाने के आदेश

पारित किये गये थे पुनः राजस्व मण्डल मे पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर मण्डल के निर्णय दिनांक 10.12.20 से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ख0न0 2328 की 4.13 बीघा वके खानपुर की किस्म के सबध मे वर्ष 1947 के रिकार्ड से सबधित आवश्यक जाचं व राजस्थान सरकार के आदेश के तहत भू रूपान्तरण के आदेश के विरूद्ध किस प्रकार रेफरेन्स पेश की अधिकारिता प्राप्त है पुनः इस सबंध मे सुनवई व विचार कर बद जांच आवश्यक समझा जावे तो मण्डल के समक्ष पुनः रेफरेन्स पेश किये जाने का निर्णय पारित किया गया हे। अपीलान्ट 132 के0वी0 जी0एस0एस0एस0 रा0रा0विद्युत प्रसारण निगम लि0 खानपुर वेध रूप से आवंटित हुई है। जिस पर अपीलान्ट विधिक काबिज है।

8 उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की पलना नहीं की गई है। अपीलांट/अप्रार्थी के जवाब को कंसीडर नहीं किया है और न ही उसे खारिज किया है तथा छपे छपाये प्रपत्र में विरोधाभासी तथ्यों युक्त निर्णय पारित किया है जो कानूनन उचित नहीं हैं। इसके अतिरिक्त तहसीलदार खानपुर के निर्णय के पश्चात मण्डल के निर्णय दिनांक 10.12.2020 की पालना में ग्राम खानपुर के ख0न0 2328 की 4.13 बीघा वके खानपुर की किस्म के सबध मे वर्ष 1947 के रिकार्ड से सबधित आवश्यक जाचं व राजस्थान सरकार के आदेश के तहत भू रूपान्तरण के आदेश के विरूद्ध किस प्रकार रेफरेन्स पेश की अधिकारिता प्राप्त है इस सबंध मे सुनवई व विचार कर बद जांच आवश्यक समझा जावे तो पुनः रेफरेन्स पेश करे पारित किया गया है जिसमे अतिक्रमप के प्रकरण मे भी इसका प्रभाव संभव है। अतः प्रकरण रिमाण्ड योग्य पाया जाता है।

9 अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खानपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.03.19 निरस्त किया जाता है। तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में पटवरी व भू अभिलेख निरीक्षण की साक्ष्य ली जाकर तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जबब एवं राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 10.12.20 के परिपेक्ष्य मे पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित करें।

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावड़

11 निर्णय आज दिनांक 09.04.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावड़